प्रारूप 30 [नियम 55 (1) और (3) देखिए]

मोटर यान के स्वामित्व अन्तरण और सूचना के लिए आवेदन पत्र (यदि यान अवक्रय / पट्टा / आडमान करार के अधीन धारित हैं तो दो प्रतियों में दी जाएगी। दूसरी प्रति रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और प्रारूप 24 में रजिस्ट्रीकरण अभिलेख में स्वामित्व के अन्तरण की प्रविष्टि किए जाने पर वित्तपोषक को वापस की जाए।)

सेवा में,	
रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी	
	П—1
अंतरक के प्रयोग के लिए	
अंतरक का नाम	
पिता / पित का नाम	
पूरा पता	
जोका / की पुत्र / पुत्री / पत्नी ।	है श्री / श्रीमती कं है और जिसका निवास स्थान (पूरा पता) में है बेच दिया है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र औ
मैं / हम यह घोषणा करता हूँ / करते है कि मेरे / ह निलंबित या रद्द नहीं किया गया है।	मारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपः
में / हम रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अंतरक को अपने आवेदन के साथ धारा 50 की उपधारा (1) की	''आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र'' (संलग्न) नहीं किया जाता है तं अपेक्षानुसार एक घोषणा दाखिल करना चाहिए।
तारीख	अन्तरक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
* निलम्वन या रद्द किए जाने का ब्यौरा।** जो लागू न हो उसे काट दें।	
	ग−2 प्रयोग के लिए
अन्तरिती का नाम	
पिता / पति का नाम	पूरा पता(पति का सबूत संलग्न करें)
है वर्ष की की	मोटर यान का जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या तारीख को (नाम और पूरा पता)से क्रय कर लिय

बीमा प्रमाणपत्र भी संलग्न है। मैं / हम अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विवास के अनुसार मैंने / हमने कोई सूचना नहीं छिपाई है और दी गई सूचना सही है। यान किसी सुपुर्दगी में नहीं है और सभी प्रकार के विलंगमों से मुक्त है। मैं / हम किसी सूचना की गलती के लिए स्वयं को उत्तरदायी ठहराने का वचन देता हूँ / देते हैं।

(वित्तपोषक का नाम और पूरा पता)	
तारीख	वित्तपोषक के हस्ताक्षर
	तारीख
कार्यालय	। पृष्ठांकन
	कार्यालय अधीन यान के स्वामित्व के अन्तरण को यान के रजिस्ट्रीकरण जिस्ट्रीकरण अभिलेख प्रारूप 24 में तारीख
तारीख	रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
सेवा में, अन्तरक वित्तपोषक	
उपरोक्त दोनों पक्षकारों को रसीदी रजिस्ट्री डाक से भे	जा जाए।
रजिस्ट्रीकृत स्वामी और वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर प्रारूप 323–24 में कार्यालय मुद्रा लगाने और अनुप्रमाणन के लिए	या अंगूठे का निशान मूल आवेदन पर रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा ! प्राप्त किए जाएँगे।
मुद्रा या स्टाम्प और अनुप्रमाणन इस रीति से लगाई जाएगी कि	वह प्रत्येक हस्ताक्षर पर हो।
1	वित्तपोषक के हस्ताक्षर। रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूना हस्ताक्षर।